

CPC, 1908

PART 08

सिविल प्रक्रिया संहिता

9-14

**The Code of
Civil Procedure**

Section 11-14 ✓

Res judicata ✓



#Judiciary

By Poonam Sha



WELCOME **UMMEED** **CLASSES**

**Like Video and Subscribe
our channel**

Join us:



9269100222



UMMEED CLASSES



#Hinglish

By Poonam Ma'am

Section 11: Res judicata

पूर्व-न्याय सिद्धान्त

The doctrine of Res Judicata is originated from 3 Roman maxims:

1. Nemo debet lis vexari pro eadem causa निमो डेट बिस वेक्सारी प्रो यूना एट ईडेम काँसा- It means that no person should be vexed annoyed, harassed or vexed two times for the same cause; जिसका मतलब है कि किसी भी आदमी को एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए

2. Interest reipublicae ut sit finis litium इंटरेस्ट रिपब्लिके यू सिट फिनिस लिटियम- It means that it is in the interest of the state that there should be an end of litigation; जिसका अर्थ है कि यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए

3. Re judicata pro veritate occipitur रेस ज्युडिकाटा प्रो वेरिटेट ओसीसीपिटूर - Decision of the court should be adjudged as true. जिसका अर्थ है न्यायिक रूप से सही माना जाना।

§ 11 ✓ 2 Suit पहले ही decide.

- ✓ Competent court सक्षम न्यायालय
- ✓ Same cause of action.
- ✓ Same parties.

* appeal पर लागू नहीं होता।

प्रतिपादन → S.J.J. ऑफ़ किंग्सटन over ✓

Section 11: Res Judicata

No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.

कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद अथवा वाद बिन्दु का विचारण नहीं करेगा जिसके वाद पद में वह विषय, उन्ही पक्षकारों के मध्य अथवा उन पक्षकारों के मध्य जिनके अधीन वे अथवा उनमें से कोई उसी हक के अन्तर्गत मुकदमे बाजी करने का दावा एक ऐसे न्यायालय में करता है, जो कि ऐसे परवर्ती वाद अथवा ऐसे वाद जिसमें ऐसा वाद बिन्दु बाद में उठाया गया है, के विचारण में सक्षम है, किसी पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष एवं सारवान् रूप से रहा हो और सुना जा चुका हो तथा अन्तिम रूप से ऐसे न्यायालय द्वारा निर्णीत हो चुका हो।

Section 11: Res Judicata

इस सिद्धान्त के तीन उद्देश्य माने जा सकते हैं –

- (क) मुकदमे बाजी को समाप्त करना,
- (ख) दोहरे वाद से सुरक्षा प्रदान करना, तथा
- (ग) न्यायालय के निर्णय को अन्तिम रूप प्रदान करना। (गुलाम अब्बास बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 2198)

✓ सत्याचरण बनाम देवराजन (ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 941)

इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि – “प्राङ्गन्याय की सिद्धान्त न्यायिक निर्णयों को अन्तिम स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता पर आधारित है इसके अनुसार किसी न्यायालय द्वारा एक बार विनिश्चित की गई बात पर पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता।”

Gulam Abbas v. UP

Disposal of suit

Multiplicity of suit

Section 11: Res Judicata

प्राइन्सिपल के सिद्धान्त को एक उदाहरण द्वारा के सिद्धान्त द्वारा वर्जित माना गया। समझा जा सकता है -

ख के विरुद्ध संविदा के आधार पर मालिक की हैसियत से क वाद लाता है जो खारिज कर दिया जाता है। उसके पश्चात् क पुनः ख के विरुद्ध उसी संविदा के आधार पर अभिकर्ता (agent) की हैसियत से वाद लाता है, उस स्थिति में यह वाद प्राइन्सिपल



Section 11

Explanation I- The expression "former suit" shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto.

स्पष्टीकरण 1- "पूर्ववर्ती वाद" पद ऐसे वाद का द्योतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है चाहे वह उससे वाद संस्थित किया गया हो या नहीं।

Explanation II.- For the purposes of this section, the competence of a Court shall be determined irrespective of any provisions as to a right of appeal from the decision of such Court.

स्पष्टीकरण 2. -इस धारा के प्रयोजनों के लिये न्यायालय की सक्षमता का अवधारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषयक किन्हीं उपबन्धों का विचार किये बिना किया जायेगा।

UMMEED
CLASSES

Appeal पर ही होगा
लागू नहीं होगा

Section 11

Explanation III.- The matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted, expressly or impliedly, by the other.

स्पष्टीकरण 3- ऊपर निर्देशित विषय का पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथन और दूसरे अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राख्यात या स्वीकृति आवश्यक है।

✓ **Explanation IV.-** Any matter which might and ought to have been made ground of defence or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit.

स्पष्टीकरण 4- ऐसे किसी भी विषय के बारे में, जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का प्रधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिये था, यह समझा जायेगा कि यह ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः सारतः विवादय रहा है।

Constructive Res judicate.
 आन्वयिक प्राप्ति

Section 11

Explanation V.- Any relief claimed in the plaint, which is not expressly granted by the decree, shall, for the purposes of this section, be deemed to have been refused. ✓

Explanation VI.- Where persons litigate bona fide in respect of public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall, for the purposes of this section, be deemed to claim under the persons so litigating.

स्पष्टीकरण 5- वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष, जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिये नामंजूर कर लिया गया समझा जायेगा। ✓

स्पष्टीकरण 6- जहां कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकार के या किसी ऐसे प्राइवेट अधिकार के लिये भावनापूर्ण मुकदमा करते हैं जिसका वे अपने लिये और अन्य व्यक्तियों के लिये सामान्यतः दावा करते हैं वहां ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में इस धारा के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि वे ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं।

Section 11

Explanation VII.- The provisions of this section shall apply to a proceeding for the execution of a decree and reference in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references, respectively, to proceedings for the execution of the decree, question arising in such proceeding and a former proceeding for the execution of that decree.

Explanation VIII.- An issue heard and finally decided by a Court of limited jurisdiction, competent to decide such issue, shall operate as res judicata in as subsequent suit, notwithstanding that such Court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised.]

स्पष्टीकरण 7- इस धारा के उपबन्ध किसी डिक्री के निष्पादन के लिये कार्यवाही को लागू होंगे और इस धारा में किसी वाद विवादक या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः उस डिक्री के निष्पादन के लिये कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन के लिये पूर्ववर्ती कार्यवाही के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जायेगा।

स्पष्टीकरण 8- कोई विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा, जो ऐसा विवादक विनिश्चित करने के लिये सक्षम है, सुना गया है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, किसी पश्चात्कर्ती बाद में पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुये भी प्रवृत्त होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चात्कर्ती बाद का या उस बाद का जिसमें ऐसा विवादक बाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिये सक्षम नहीं था।

① Res judicata. not apply [लागू नहीं होगा]



Habeas Corpus की प्रत्यक्षीकरण

Case → Gulam V. UOI

② Appeals पर लागू नहीं होता।

Applicability of Res judicata :-

- 1) execution of decrees or orders
- 2) Interim or Interlocutory orders.
Case → Avtar Singh V. Jagjit Singh.
- 3) plaintiff and defendants
co-plaintiff & co-defendants.

S-12 Bar to further suit :- अतिरिक्त वाद
का वर्जन

Same cause of action.

↓
Bar.

[02R2, 022R9, 09R9, 023R1]

Q-13 When foreign Judgment not conclusive.
विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होंगे?

Q-14 Presumption of foreign Judgments.

उपधारणा करेगा
(Shall presume)

THANKING YOU

FOR

WATCHING

UMMEED CLASSES



9269100222



UMMEED CLASSES



UMMEED_CLASSESOOI



**UMMEED
CLASSES**

